



“अशोक के अभिलेखों का पुरातात्विक महत्त्व एवं मूल्यांकन”

शोध निर्देशिका:

डॉ० अनिता गोस्वामी

ऐसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)

शहीद मंगल पांडे राजकीय डिग्री

कॉलिज मेरठ

शोधार्थी:

जितेन्द्र कुमार

(इतिहास विभाग)

शहीद मंगल पांडे राजकीय

डिग्री कॉलिज (मेरठ)

अतीत को जानने का महत्त्वपूर्ण साधन है—इतिहास। इतिहास के मुख्य स्रोतों में पुरातत्त्व, अभिलेख, साहित्य और परम्पराएं हैं। परम्परा में लोगों के विश्वास, प्रथाएं और कथाएं सम्मिलित होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरन्तर हस्तान्तरित होती रहती हैं धीरे-धीरे कालखण्ड के व्यतीत होने पर उनमें से कुछ अंश विस्मृत हो जाने से लुप्त हो जाता है और बहुत कुछ नया भी प्राप्त हो जाता है। यही परम्परा कालान्तर में लिपिबद्ध होकर 'साहित्य' का रूप धारण कर लेती है। परन्तु साहित्य प्रायः भावनात्मक होता है और इसमें लेखक की कल्पना, उसकी अभिरुचि तथा अलौकिक कथाएँ भी समाविष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अतिशयोक्ति, परस्पर विरोध और इसी प्रकार के अन्य तत्त्व ऐतिहासिक तथ्यों को जानने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अतः इतिहास—निर्माण में साहित्य को भी असन्दिग्ध एवं प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। परम्परा और साहित्य की इन न्यूनताओं को दूर करने का महत्त्वपूर्ण साधन हैं— 'अभिलेख'।

इतिहास के प्रणयन एवं पुनर्निर्माण में अभिलेखों ने बहुमूल्य योगदान दिया है। इन्हीं महत्त्वपूर्ण अभिलेखों के अध्ययन मनन के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय इतिहास की आधुनिक वैज्ञानिक स्तर पर भी प्रामाणिकता सिद्ध हो सकी साथ ही भारतीय धर्म एवं संस्कृति की विश्वस्तरीय गरिमा व विपुल वैभव इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से ही प्रकाश में आये हैं। अभी तक अनेक अभिलेख प्रकाश में आ चुके हैं लेकिन इन अभिलेखों में सम्राट् अशोक के अभिलेखों का उत्कृष्ट स्थान है।



अशोक, अशोकचन्द्र, अशोकवर्धन, चण्डाशोक आदि नामों से विभिन्न अनुश्रुतियों में वर्णित अशोक मौर्य की गणना आधुनिक इतिहासकार भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के सर्वमहान सम्राटों में करते हैं। 'देवानांप्रिय' और 'प्रियदर्शी' उसकी उपाधियाँ थीं, जो संभवतया उसके पिता तथा अन्य कई भारतीय नरेशों की भी रहीं होगी। पिता बिन्दुसार के शासनकाल में वह उज्जयिनी का शासक रहा था और उस समय उसने निकटस्थ विदिशा के एक श्रेष्ठी की रूप-गुण-सम्पन्ना 'देवी' नाम की कन्या से विवाह कर लिया था, जिससे कुणाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ई०पू० 262 के लगभग अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अनेक सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए, कलिंगराज पराजित हुआ, परन्तु इस भयंकर नरसंहार को देखकर अशोक की आत्मा द्रवित हो गई और उसका हृदय-परिवर्तन हो गया। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि भविष्य में वह रक्पातपूर्ण युद्धों से सर्वथा विरत रहेगा। सम्राट् अशोक ने अपना ध्यान लोक-कल्याण के कार्यों में केन्द्रित कर लिया। मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाये, पुराने राजपथों की मरम्मत और मार्गों का निर्माण कराया, सडकों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाये, विश्रामशालाएँ बनवाई। इस प्रकार अशोक ने अनेक जनोपयोगी कार्य किये। जनता के नैतिक चरित्र को उन्नत करने का भी उसने प्रयत्न किया और उनमें असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति पैदा करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रधर्म का प्रचार किया, जो व्यावहारिक एवं सर्वग्राह्य था। उसने श्रमणों और ब्राह्मणों दोनों ही वर्गों के विद्वानों का आदर किया, और उनका सत्संग किया। धर्म-यात्राओं और धर्मोत्सवों की भी योजना की। विभिन्न स्थानों की यात्रा करके जैन, बौद्ध, आजीविक एवं ब्राह्मण तीर्थ और दर्शनीय स्थानों का अवलोकन किया, जिससे जहाँ जिस सुधार की आवश्यकता दृष्टिगत हुई, उसे प्रेरणा द्वारा अथवा राजाज्ञा द्वारा पूर्ण कराने का प्रयत्न किया। जीव-दया और व्यावहारिक अहिंसा को उसने अपना मूलमंत्र बनाया। अपने मंत्रव्यों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थानों एवं केन्द्रों में उसने शिलाखण्डों एवं कलापूर्ण स्तम्भों पर अपनी विज्ञप्तियाँ उत्कीर्ण करवाई।



अशोक के अभिलेखों का पुरातात्विक महत्त्व

आर्केयोलॉजी (Archaeology) ग्रीक भाषाका शब्द है। ग्रीक भाषा में आर्केयास (Archaïos) का अर्थ है— 'प्राचीन' तथा आर्के (Arche) का अर्थ है—आरम्भ और लोगस (Logos) का अर्थ है— वार्तालाप। अतः इसका अर्थ हुआ— "मानव के आदिकालीन परीक्षण पर वार्तालाप", और भावार्थ हुआ— "अतीत के ज्ञान का प्रयास तथा परीक्षण।" अतः पुरातत्त्व अर्थ हुआ, जो मानव के आदि से अन्त तक के विषय में प्रकाश डालता है और उसके जीवन के परिवर्तन, विकास तथा पतन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है।

1798 में जब नेपोलियन का मिश्र में आगमन हुआ तो उसके एक सैनिक पदाधिकारी को नील नदी के डेल्टा में स्थित रोसेटा में एक काला शिला-खण्ड प्राप्त हुआ। इस शिला-खण्ड पर एक ही लेख तीन लिपियों में उत्कीर्ण था। तभी से पुरातत्त्व का दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगा। अब पुरातत्त्व में केवल खजानों व अनोखी वस्तुओं की खोज करना ही नहीं रहा अपितु मानव के अतीत के विषय में खोज करना भी हो गया। इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्त्व के विकास के विभिन्न अंग—अभिलेख, मुद्रा, कलावशेष और उत्खनन से प्राप्त सम्पूर्ण सामग्री हमारे प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में भी अत्यधिक सहायक रही है। ई0पू0 छठी शताब्दी से प्राचीन भारत का विधिवत् इतिहास प्रारम्भ हो जाता है, जो प्रायः ई0 की तेरहवीं शताब्दी तक गतिमान रहता है। इस काल के इतिवृत्त के लेखन हेतु साहित्य एवं पुरातत्त्व की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो चुकी है। संप्राप्त साहित्य में इस युग के इतिहास की झलक तो हमें प्राप्त हो जाती है, पर उसकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से ही होती है। चूंकि यह शोधकार्य पुरातात्विक सामग्री—अभिलेखों पर आदृत है। अतः यहाँ पुरातात्विक स्रोतों पर ही चर्चा की जायेगी।

पुरातत्त्व के अंगों में यद्यपि सभी अंगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है तथापि इनमें अभिलेखों का उत्कृष्ट स्थान है। किसी धातु, ताड़-पत्र या शिलाओं आदि पर उत्कीर्ण लेख 'अभिलेख' कहलाते हैं। प्रायः लेखन—कला के ज्ञान के साथ ही इन अभिलेखों का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु इनका अधिक विकास अशोक के काल में ही हुआ। ये पत्थरों पर खोदकर अथवा



धातुओं पर उत्कीर्ण कर, लिखे गये। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में इन अभिलेखों का विशेष महत्त्व है। ये अभिलेख कभी प्राप्त तथ्यों की पुष्टि करते हैं तो कभी नये तथ्यों का उद्घाटन इनके द्वारा शासकों के वंश, नाम, तिथि, कर्तव्य, सामयिक घटनाएं एवं तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि स्थितियों के साथ ही सांस्कृतिक अवस्था पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

अशोक के अभिलेखों के पुरातात्विक महत्त्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं—

(1) ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान : सर्वविदित है कि प्राचीन भारतीय इतिहास—लेखन में अभिलेखों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन अभिलेखों द्वारा तत्कालीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों के विभिन्न स्वरूपों पर तो पर्याप्त प्रकाश पड़ता ही है। साथ ही ये अभिलेख इतिहास—ज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण साधन भी है।

इन अभिलेखों में अशोक के अभिलेख भारत के प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिलेख है। सैन्धव युग और अशोक के शासनकाल के मध्य का कोई अभिलेख अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए यथार्थ दृष्टि से भारत के ऐतिहासिक युग का प्रारम्भ इन अभिलेखों से ही होता है। इनका महत्त्व अन्य दृष्टियों से भी है, जिन पर हम यहाँ विचार करेंगे। अशोक के लेख संख्या में बहुत अधिक ही नहीं हैं वरन् ये परस्पर घनिष्ठतः सम्बन्धित भी हैं। अतः यहाँ हमारा उद्देश्य मात्र यह प्रस्तुत करना है कि अशोक के अभिलेख, जो पुरातत्त्व का महत्त्वपूर्ण अंग है, इतिहास—ज्ञान में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं—

(2) अशोक के परिवार, व्यक्तिगत जीवन व तिथिक्रम विषयक महत्त्व : अशोक के अभिलेख उसके परिवार एवं व्यक्तिगत जीवन पर प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि उसके अनेक भाई—बहिन थे, जिनके अपने अन्तःपुर थे।¹ उसकी कम से कम दो रानियाँ थी क्योंकि प्रयाग—स्तम्भ में 'रानी के लेख' में राजकुमार तीवर की माता कारुवाकी को द्वितीय रानी कहा गया है।² सप्तम स्तम्भलेख³ में प्रधानरानी व राजकुमारों का उल्लेख है। लघु शिलालेख के दाक्षिणात्य संस्करणों में उल्लिखित 'आर्यपुत्र'



एवं जौगड़ व धौली के पृथक् शिलालेख में वर्णित कुमार भी उसके भाई या पुत्र होंगे। उसके लेखों में उसका अपना व्यक्तिगत नाम 'अशोक'⁴ बताया गया है तथा 'देवानांप्रिय', 'प्रियदर्शी' और 'राजा' की उपाधियाँ दी गई हैं। इन अभिलेखों से उसका व्यक्तिगत इतिहास भी ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की⁵, जिसकी भीषणता से अनुत्पन्न होकर, उसने बौद्धधर्म स्वीकार किया। बौद्ध उपासक बनने के अनन्तर सर्वप्रथम एक साल तक उसने अल्प पराक्रम किया। दूसरे वर्ष से उसने तीव्र पराक्रम प्रारंभ किया और दसवें वर्ष में सम्बोधित की यात्रा की।⁶ स्पष्टतः उसी वर्ष, निश्चय ही लघु शिलालेख लिखवाने के 256 दिन पूर्व, उसने बुद्ध के अवशेष मंचारूढ कराए। 11वें वर्ष में उसने लघु शिलालेख जारी किया और बारहवें वर्ष में आजीवकों को गुफाएँ दान दीं।⁷ तथा प्रथम चार शिलालेख लिखवाए। 13वें वर्ष में उसने धर्ममहामात्रों की नियुक्तियाँ कीं।⁸ 14वें वर्ष में संभवतः शेष शिलालेख लिखवाए एवं कनकमुनि बुद्ध के स्तूप को दुगना करवाया।⁹ 19वें वर्ष में उसने आजीवकों⁹ को नई गुफाएं दान दीं व लुम्बिनी की यात्रा की।¹⁰ 26वें वर्ष में उसने प्रथम छः स्तम्भलेख लिखवाए और 27वें वर्ष में 7वां स्तम्भलेख लिखवाया।¹¹

(3) साम्राज्य की सीमाएँ : अशोक के अभिलेखों से उसके व्यक्तिगत परिचय के अतिरिक्त उसके साम्राज्य के विस्तार का ज्ञान भी होता है। इनके प्राप्ति स्थलों से निश्चित होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर में कालसी एवं नेपाल की तराई, दक्षिण में ब्रह्मगिरि-सिद्धपुर आदि स्थलों, पूर्व में कलिंग, पश्चिम में जूनागढ़ तथा उत्तर पश्चिम में कन्धार तक विस्तृत था। उसके शार-ए-कुना (कन्धार) लेख से यूनानी साक्ष्य की यह सूचना प्रमाणित हो जाती है कि सेल्युकस ने काबुल, कन्धार, हिरात व बलूचिस्तान प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। अशोक के अभिलेखों में उसके पड़ोसी यूनानी राज्यों व सुदूर दक्षिण के स्वतन्त्र भारतीय राज्यों की जो सूचियाँ प्राप्त होती हैं,¹² उनसे भी उसके साम्राज्य की यही सीमाएं निर्धारित होती हैं।



(4) प्रशासन सम्बन्धी सूचनाएं : अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य के प्रशासन पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। उसका साम्राज्य एक केन्द्रीभूत साम्राज्य था। वह अपने लेखों में कुछ जातियों का उल्लेख अवश्य करता है¹³, जो कुछ आन्तरिक स्वतन्त्रता का उपभोग करती होंगी, परन्तु सम्पूर्ण साम्राज्य में सम्राट् का प्रत्यक्ष नियन्त्रण था, अशोक ने आटविक जातियों को सम्बोधित करते हुए अपनी शक्ति का जिस प्रकार उल्लेख किया है, उसे प्रतीत होता है कि वह अपने साम्राज्य में विद्रोहात्म प्रवृत्तियों को सहन नहीं करता था। उसका साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिनके कुछ नगर स्वर्णगिरि, इसिला तथा समापा, तोसली, तक्षशिला, उज्जैनी आदि उसके अभिलेखों में उल्लिखित हैं। इनमें स्पष्टतः अधिकतर नगर, प्रान्तीय राजधानियों में राजकुमार 'वायसराय' के रूप में नियुक्त थे। साम्राज्य की केन्द्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी।

प्रशासन व न्याय-व्यवस्था के बहुत से क्षेत्रों में अशोक ने नये प्रयोग किए। इन प्रयोगों व उनसे सम्बन्धित पदाधिकारियों महामात्र,¹⁴ धर्ममहामात्र, रज्जुक¹⁵ स्त्र्यध्यक्षमहामात्र¹⁶, अन्तःमहामात्र, युक्त,¹⁷ प्रादेशिक आदि की नियुक्तियां एवं उनके कार्यों का विस्तृत उल्लेख उसके अभिलेखों में प्राप्त होता है लेकिन कर-व्यवस्था पर उसके लेखों में वर्णन कम प्राप्त होता है, एकमात्र¹⁸ लुम्बिनी ग्राम को धर्मनामक कर से मुक्त किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।

अशोक समस्त प्रजा को अपनी सन्तान मानता था (सव मुनिसा में पजा)।¹⁹ उसने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक उपाय किये। उसने मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की²⁰, मार्गों में यथास्थान छायादार पेड़ लगवाये, जलशालाएँ बनवाई, आम्रवाटिकाएं लगवाई, आधे-आधे कोस पर कुएं खुदवाये तथा विश्रामगृह बनवाएं।²¹ यह सब कार्य उसने धर्म की अभिवृद्धि के हेतु 'धम्म पराक्रम' के रूप में किये थे।

(5) अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण:-अभिलेखों में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था। भाब्रू शिलाफलक लेख²² में वह बुद्ध, धर्म व संघ में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है एवं कुछ बौद्ध धर्मग्रन्थों पर मनन करने का



सुझाव देता है, अहरौरा लघु शिलालेख²³ में बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने का उल्लेख प्राप्त होता है, निगालीसागर स्तम्भलेख²⁴ में कनकमुनि बुद्ध के स्तूप का पुनः निर्माण व उसकी यात्रा करने का उल्लेख करता है, अष्टम शिलालेख²⁵ में सम्बोधि की यात्रा करने का उल्लेख करता है। प्रयाग, सारनाथ व सांची संघभेद लेखों²⁶ में में बौद्धसंघ के भेद दूर करने का प्रयास का वर्णन करता है, तथा अपने मास्की लघु शिलालेख²⁷ में अपने को बुद्ध शाक्य बतलाया है।

इस प्रकार अभिलेखों के द्वारा हम अशोक के व्यक्तिगत व प्रशासन सम्बन्धी अनेक सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, जो इतिहास के विद्यार्थियों को अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही है।

(6) सांस्कृतिक तथ्यों का ज्ञान : प्राचीन भारतीय अभिलेखों से ऐतिहासिक तथ्यों का ही नहीं वरन् अनेक सांस्कृतिक तत्त्वों का ज्ञान भी होता है। इन अभिलेखों से तत्कालीन भारत की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्वरूप, आर्थिक स्थिति व स्थापत्य कला आदि का परिज्ञान भी सम्यक् रूप से होता है।

(7) सामाजिक स्थिति का बोध: 'वर्णाश्रम' भारतीय समाज की एक प्रमुख व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर हिन्दू समाज अवलम्बित है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में प्रसंगवश वर्ण-व्यवस्था का सन्दर्भ यंत्र-तंत्र प्राप्त होता है। अशोक के तृतीय, चतुर्थ तथा अष्टम शिलालेख में दानग्राही ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में शूद्रों के साथ समुचित व्यवहार का आदेश दिया है। इन अभिलेखों में सामाजिक उत्सवों के भी अनेक सन्दर्भों के साथ ही समाजहित के कार्यों, दया, अहिंसक समाज पर बल आदि के प्रासंगिक संदर्भ भी प्राप्त होते हैं।

(8) धार्मिक स्वरूप का ज्ञान : धर्म एवं धार्मिक कृत्यों के अनेक संदर्भ समसामयिक अभिलेखों में मिलते हैं। अनेक अभिलेखों का प्रणयन धर्म की भावना से ही हुआ प्रतीत होता है। अशोक के धर्मलेख इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसने अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म को प्रचारित किया था लेकिन अशोक ने सामान्य जनता में जिस धर्म का प्रचार किया वह बौद्धधर्म न होकर मानव धर्म था जिसे स्वीकृत करने में प्रायः सामान्य जनता को



किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। इस 'धम्म' का सकारात्मक पक्ष²⁸ दूसरे शिलालेख व सातवें स्तंभलेख में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। भाब्रु शिलाफलक लेख के आधार पर अशोक बुद्ध धर्म एवं संघ में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा व्यक्त करता है,²⁹ एवं धम्म पलियायों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अशोक बौद्धधर्म के किस रूप को जनता में प्रचारित करना चाहता था। इसको लोकप्रिय बनाने के लिए उसने किसी सम्प्रदाय के विरुद्ध प्रचार नहीं किया वरन् सभी सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को सुनने व उन पर मनन करने का निर्देश करता है। इसको वह 'समवाय' आदर्श बताता है।³⁰ अपने अभिलेखों में वह सर्वत्र सभी सम्प्रदायों के हित एवं सुख की कामना करता है। उसने बौद्ध होने के बावजूद आजीवकों को गुफाएं दान दी तथा ब्राह्मणों व निर्ग्रन्थों आदि के हित का ध्यान रखने के लिए धर्मममहामात्रों को आदेश दिये।³¹

(9) धम्म-प्रचार के उपाय: अशोक ने अपने धर्म को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये। उसने अपने अभिलेखों द्वारा धर्म के आदर्शों को चिरस्थायी बनाया और जनता, राजकर्मचारियों व भिक्षुओं आदि के माध्यम से अपना संदेश सर्वसाधारण तक पहुंचाया। इसके लिए सम्राट अशोक ने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य की शक्ति को धर्म-प्रचार में नियोजित किया। इसे वह भेरिघोष (युद्ध घोष) के स्थान पर धर्मघोष के नाम से अभिहित करता है।³² उसने पूर्वगामी राजाओं में प्रचलित विहार-यात्राओं के स्थान पर धर्मयात्राएं प्रारम्भ की।³³ सामान्य मंगलोत्सवों के स्थान पर धर्म-मंगलों का प्रचार किया, तत्कालीन युग में प्रचलित 'सामान्य समाज' (आमोद-प्रमोदपूर्ण उत्सव) के स्थान पर धर्मसमाज को प्रोत्साहित किया।³⁴ पुण्य करने पर मिलने वाले स्वर्गीय सुखों की ओर जनता को उन्मुख करने के लिए इन सुखों के दृश्यों को विमान-दर्शन, हस्तिदर्शन, अग्निस्कन्ध³⁵ तथा अन्य दिव्य दर्शनों के माध्यम से दिखलाना प्रारम्भ किया अर्थात् वर्तमान में प्रचलित अनेक प्रकार के विज्ञापनों द्वारा हम हमारी बात को आम जनता तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार अशोक ने भी उपर्युक्त साधनों का प्रयोग किया है। उसने सामान्य जनता में अहिंसा



का प्रचार करने के लिए स्वयं मांस –भक्षण कम कर दिया।³⁶ और अनेक अवसरों पर पशुओं की हत्या का सर्वधा निषेध कर दिया।³⁷

(10) बौद्धधर्म के प्रचारार्थ अशोक के कार्य: अशोक के 'धर्म' प्रचार के सभी उपायों से बौद्धधर्म का परोक्ष रूप से प्रभाव वृद्धिगत हुआ। परन्तु विशेष रूप से उसने बौद्धधर्म के लिए क्या-क्या कार्य किए इनका वर्णन अभिलेखों में प्राप्त नहीं है। फिर भी इतना निश्चित रूप से ज्ञात है कि उसने (1) बौद्ध संघ के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। उसने एक समागम आयोजित करवा कर, लोभी तथा श्रद्धाहीन भिक्षुओं को संघ से निष्कासित करने की चेतावनी दी।³⁸ (2) अशोक ने कुछ बौद्ध-ग्रंथों का प्रचार भी किया।³⁹ (3) उसने बुद्ध के देहावशेषों का स्तूप बनवाये।⁴⁰ (4) स्तम्भों और उन पर बनी मूर्तियों और स्तूपों के रूप में बौद्ध प्रस्तर-कला का श्रीगणेश किया और बौद्ध-प्रतीकों को लोकप्रिय बनाया।

अशोक के विषय में बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भारत के विभिन्न भागों व विदेशों में धर्म-प्रचारक भेजे थे। इस तथ्य का उल्लेख उसके अभिलेखों में तो स्पष्टतः प्राप्त नहीं होता है परन्तु वह तेरहवें शिलालेख में अपने पड़ोसी देशों में जैसे यूनानी राज्यों में 'धम्म विजय' की नीति की सफलता का दावा करता है।⁴¹ उसने जिन लोगों के माध्यम से अपने आदर्श वहां प्रचारित करने का प्रयास किया होगा, उनमें वे धर्म-प्रचारक भी रहे होंगे, जिनकी चर्चा साहित्य में है। अशोक के अभिलेख मिस्र व पश्चिमी एशिया के यूनानी राज्यों और राजाओं का उल्लेख करने वाले एकमात्र भारतीय लेख हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

(11) आर्थिक स्थिति का ज्ञान: प्राचीन भारतीय अभिलेखों से उस काल की आर्थिक स्थिति का भी यत्र-तत्र ज्ञान प्राप्त होता है। अभिलेखों में प्राप्त धन तथा भूमिदान के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिनसे तत्कालीन आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। शासक भूमि की



सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देते थे। झील, नहर, तालाब तथा बांधों से सिंचाई होती थी, जिसके संदर्भ इन अभिलेखों में मिलते हैं।

(12) **ललित कलाओं की जानकारी:** अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से विभिन्न कलाओं का परिज्ञान भी होता है, यथा वास्तुकला, खोदने की कला, लेखनकला आदि।

(13) **लिप्यात्मक, भाषात्मक व साहित्यिक महत्त्व:** अशोक के अभिलेख बहुसंख्यक एवं भारत के प्राचीनतम अभिलेख होने के कारण तत्कालीन भारत की लिप्यात्मक, भाषात्मक एवं साहित्यिक स्थिति पर रोचक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। अशोक ने अपने पश्चिमोत्तर प्रदेशों के अभिलेखों में यूनानी, अरमाइक एवं खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया है।⁴² उसके शहबाजगढ़ी व मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम विस्तृत लेख हैं। शेष समस्त भारत में उसने ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया। इस लिपि का रूप सर्वत्र समान है लेकिन क्षेत्र-विशेष के कारण कुछ शब्दों में या वर्णों की बनावट में न्यूनाधिक अन्तर है, जिससे प्रमाणित होता है कि इसे स्वयं अशोक ने प्रचारित किया था।

अभिलेखों का साहित्यिक महत्त्व भी कई दृष्टियों से है। प्रथमतः इनसे अशोक के काल में बौद्ध त्रिपिटक के विकास की अवस्था का कुछ ज्ञान होता है तथा बौद्ध धर्म-ग्रंथों के लिए 'पालियाय'⁴³ शब्द का प्रयोग किया गया है। द्वितीयतः अशोक के अभिलेखों की भाषा में पालिक त्रिपिटक की भाषा व वाक्य-विन्यास आदि का गहरा प्रभाव मिलता है।⁴⁴ तृतीयतः अशोक के अभिलेख बौद्धेतर साहित्य के अध्ययन के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, उसके द्वारा प्रयुक्त 'परिस्रवे', 'अपरिस्रवे'⁴⁵ तथा 'आसिनवे'⁴⁶ शब्द जो अन्ह्य का प्राकृत पर्याय है, बौद्ध साहित्य के न होकर जैन साहित्य से लिए गए प्रतीत होते हैं।⁴⁷ उसकी अवबध्य पशुओं की सूची⁴⁸ बौधायन और वशिष्ठ से मेल खाती है, उसका 'समवाय' सिद्धान्त भारत में लगभग सभी सम्प्रदायों में आदर्श माना गया है, उसकी 'देवानांप्रिय'⁴⁹ उपाधि ब्राह्मण साहित्य में चर्चित है तथा उसके द्वार तिष्य और पुनर्वसु नक्षत्रों को प्रदत्त महत्त्व कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार अशोक के अभिलेख मागधी प्राकृत में लिखित माने-जाते हैं, जो उस समय की प्रचलित जनभाषा थी साथ ही ये



अभिलेख तत्कालीन भारत के भाषात्मक मानचित्र को समझने में भी अत्यधिक सहायता प्रदान करते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. देविनं च। सवसि च मे ओलो धनसि देवी-कुमालानं इमे पुतापपोतिके-सप्तम स्तम्भलेख-देहली-टोपरा
2. प्रयाग कोसम लघु स्तम्भलेख
3. सप्तम स्तम्भलेख-देहली-टोपरा
4. देवानंपियस असोक राजस-गुजर्रा एवं मास्की लघु शिलालेख
5. जो कलिंगा विज ...। वठे सत-त्रयोदशा शिलालेख, गिरनार
6. अष्टम शिलालेख, गिरनार
7. बराबर गुहालेख
8. पंचम शिलालेख, गिरनार
9. निगालीसागर स्तम्भलेख
10. रूमिनदेई स्तम्भलेख
11. प्राचीन भारत अभिलेख संग्रह, पृ0सं0-16
12. द्वितीय शिलालेख, पंचम शिलालेख
13. पंचम शिलालेख, गिरनार
14. सम्पूर्ण षष्ठ शिलालेख व अन्य लेख
15. चतुर्थ स्तम्भलेख; सप्तम स्तम्भलेख, देहली-टोपरा
16. द्वादश शिलालेख, गिरनार
17. तृतीय शिलालेख, गिरनार
18. रूमिनदेई स्तम्भलेख
19. जौगढ़ द्वितीय पृथक् शिलालेख
20. द्वितीय शिलालेख, गिरनार



-
- 21.सप्तम स्तम्भलेख, देहली-टोपरा
 - 22.भाब्रू शिलाफलक लेख
 - 23.अहरौरा लघु शिलालेख
 - 24.निगाली सागर स्तम्भलेख
 - 25.अष्टम शिलालेख, गिरनार
 - 26.सांची, सारनाथ एवं प्रयाग का लघु स्तम्भलेख
 - 27.मास्की लघु शिलालेख
 - 28.द्वितीय शिलालेख; सप्तम स्तम्भलेख-सम्पूर्ण
 - 29.भाब्रू शिलाफलक लेख
 - 30.द्वादश शिलालेख, गिरनार
 - 31.सप्तम स्तम्भलेख, गिरनार
 - 32.चतुर्थ शिलालेख, गिरनार
 - 33.अष्टम शिलालेख, गिरनार
 - 34.प्रथम शिलालेख, गिरनार
 - 35.चतुर्थ शिलालेख, गिरनार
 - 36.प्रथम शिलालेख, गिरनार
 - 37.पंचम स्तम्भलेख-सम्पूर्ण
 - 38.सारनाथ स्तम्भलेख
 - 39.भाब्रू शिलाफलक लेख
 - 40.अहरौरा लघु शिलालेख
 - 41.त्रयोदश शिलालेख, गिरनार
 - 42.अशोक के अभिलेख, पृ0 15
 - 43.भाब्रू शिलाफलक लेख
 - 44.अशोक एण्ड हिज इन्सक्रिप्शन्स (2), पृ 340 (अ.)



-
- 45.दशम शिलालेख, गिरनार
 - 46.द्वितीय स्तम्भलेख
 - 47.प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, पृ0 139
 - 48.पंचम स्तम्भलेख—सम्पूर्ण
 - 49.प्रथम शिलालेख, गिरनार